संख्या-30/2026/001/110डब्लू-26-27-3005-099-1-2026-1

प्रेषक,

शीतला प्रसाद
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2026

विषयः सिविल मिस रिट याचिका संख्या-10249/2025, अवमानना याचिका सिविल संख्या-1890/2025 महेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-231/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा, दिनांक 03.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर से संबंधित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-10249/2025 महेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25.04.2025 एवं अवमानना याचिका सिविल संख्या-1890/2025 के अनुपालन में धनराशि रूपये 16,53,436.00 (सोलह लाख तिरेपन हजार चार सौ छत्तीस मात्र) का भुगतान किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: सिविल मिस रिट याचिका संख्या-10249/2025 महेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25.04.2025 एवं अवमानना याचिका सिविल संख्या-1890/2025 के अनुपालन में धनराशि रूपये 16,53,436.00 (सोलह लाख तिरेपन हजार चार सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान के संबंध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त भुगतान करने से पूर्व एक बार पुन: भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों एवं गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान वास्तविक भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 16,53,436.00 (सोलह लाख तिरेपन हजार चार सौ छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-19-050-10-16-24 पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
शीतला प्रसाद
उप सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।

(6) मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, बिजनौर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, हरिद्वार

(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
शीतला प्रसाद
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।